कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(प्रतापपुर रोड़, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)
☎ 07774-240238 (0), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 338 अम्बिकापुर, दिनांक / 11 / 2 / 2021

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (फ्यूल),
प्राधिकृत अधिकारी,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम मर्यादित लिमिटेड,
विधुत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर (राजस्थान)

विषय :— **Diversion of 841.538 ha. of forest land for non forest purpose under forest conservation Act. 1980 for proposed Parsa open cast coal Mine (5MTPA) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in Surguja and Surajpur District of Chhattisgarh.**
— पंजीयन क्रमांक FP/CG/MIN/20742/2016

संदर्भ :— **1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र एफ.एन. 8—36 / 2018 एफ.सी. दिनांक 13.02.2019**
2. अ.प्र.मु.व.सं. (भू—प्रबंध / व.सं.अ.) रायपुर का पत्र क्र. / भू—प्रबंध / खनिज / 331 —229 / 512 दिनांक 23.02.2019
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / तक.अधि. / 279 दिनांक 03.02.2021

— : 00 : —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत परसा ओपन कास्ट कोल माईन्स के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रकरण में अधिरोपित शर्तो के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाना है :—

1. प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक (xii) के अन्तर्गत सेफ्टी जोन क्षेत्र 6.073 हे. के डेढ़ गुना बिगड़े वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 2012 उदयपुर परिक्षेत्र के कुल वन क्षेत्र 9.110 हे. में क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना है। अतः आप वर्ष 2021—22 के लिए सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित राशि 7,26,270 / — रूपये प्रति हे. की दर से बिगड़े वनक्षेत्र 9.110 हे. के लिए कुल राशि रूपये 66,16,320 / —एवं 25% की राशि मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु 16,54,080 / — कुल राशि रूपये 82,70,400 / — (रूपये बयासी लाख सत्तर हजार चार सौ) है।

2. प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक (xxiii) के अन्तर्गत माईनिंग लीज एरिया के 100 मीटर बाहरी परिधि में गैप प्लान्टेशन एवं मृदा जल संरक्षण कार्य हेतु वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर द्वारा निर्धारित 2.450 हे. वनक्षेत्र में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित राशि 7,26,270 / — रूपये प्रति हे. की दर से राशि रूपये 17,79,362 / — एवं 25% की राशि मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु 4,44,841 / — कुल राशि रूपये 22,24,203 / — (रूपये बाईस लाख चौबीस हजार दो सौ तीन) है।

उपरोक्तानुसार राशियों के लिए परिवेश पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि के नोडल अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) रायपुर के अनुमोदन उपरांत जमा करने की कार्यवाही की जानी है।

प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो का नियमानुसार पालन प्रतिवेदन 05 प्रतियों में समस्त अभिलेखों के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं मानचित्र सहित प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जावे।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

पृ. क्र मांक / तक.अधि. / 339 अम्बिकापुर, दिनांक / 11 / 2 / 2021

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner